शिकायत प्रकरण क्रमांक सी/402/2013

25/09/2014

प्रकरण वी0सी0 में प्रस्तुत। शिकायतकर्ता श्री रामबिलास शर्मा उपस्थित। अनावेदक श्री आर0सी0 वर्मा, एस0डी0ओ0 पेंड्रा उपस्थित।

प्रकरण की सुनवाई के दौरान ज्ञात हुआ कि शिकायतकर्ता/आवेदक ने अपील की थी और उसके लिए स्टाम्प शुल्क 100/– भी जमा किया था परंतु त्रुटिवश इसे शिकायत के रूप में दर्ज कर लिया गया।

अतः इस शिकायत प्रकरण को खारिज किया जाता है तथा वाचक–02, छ0ग0 राज्य सूचना आयोग को निर्देशित किया जाता है इसे अपील के रूप में दर्ज किया जाकर सुनवाई तिथि 27.1.2015 का सूचना पत्र उभयपक्षों को प्रेषित की जाये। उत्तरवादी को अपील की प्रतिलिपि सूचना पत्र के साथ प्रेषित की जाये।

सही/–
(जवाहर श्रीवास्तव)
राज्य सूचना आयुक्त